

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाटरी के माध्यम से आवास आबंटन किया जाएगा

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री के 0एल0 चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम , भिलाई के आम्रपाली हाऊसिंग बोर्ड में आवास आबंटन हेतु प्रथम किश्त की राशि 5 हजार रुपये जमा किये गये हितग्राहियों का 9 फरवरी 2018 को प्रातः 11 बजे निगम मुख्य कार्यालय के सभागार में लाटरी प्रक्रिया द्वारा आवास आबंटन किया जावेगा। आवास आबंटन हेतु हितग्राही अपने साथ निगम द्वारा जारी लाटरी सूचना पत्र एवं आधार कार्ड के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। ऐसे हितग्राहियों जिनके द्वारा प्रथम किश्त की राशि 5 हजार रुपये निगम कोष में जमा किया जा चुका है और किसी कारण वश उन्हें सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे हितग्राही आवश्यक रूप से आवास आबंटन लाटरी प्रक्रिया में उपस्थित होवे।